

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

संचिका सं०-फ०बी०यो०-2-18/2012(I)

पटना, दिनांक

प्रेषक,

उपेन्द्र कुमार दास,
संयुक्त निदेशक (कृषि)।

सेवा में,

श्री प्रियेश कुमार एवं अन्य
अंचल-पारू (DYCM GRC ID NO-03-3002756)
मुजफ्फरपुर।

विषय- पूर्व से कार्यरत सांख्यिकी मित्र (पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता) वर्ष 2010-11 को ASV में समायोजित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निदेशानुसार सूचित करना है कि कृषि वर्ष 2010-2011 के लिए चयनित सांख्यिकी मित्र (पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता) का न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक निर्धारित थी लेकिन ASV के लिए न्यूनतम योग्यता इन्टरमीडिएट निर्धारित की गई है। पूर्व में कार्यरत (सांख्यिकी मित्र) पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता को वरीयता देने के लिए उन्हें 3 (तीन) बोनस अंक देने का प्रावधान है।

अतः पूर्व में कार्यरत पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता (सांख्यिकी मित्र) को ASV में नियमानुसार समायोजित नहीं किया जा सकता है।

विश्वासभाजन

ह/०-


संयुक्त निदेशक (कृषि)।

ज्ञापांक- 2021

दिनांक- 07/11/12

प्रतिलिपि:-

1. डा० अरविन्द कुमार, आप्त सचिव, माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार, पटना को उनके गै०स०प्रे०सं०-4558 दिनांक 24.09.2012 के आलोक में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री सुदामा कुमार I.T. प्रबन्धक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को प्रेषित। निदेश है कि इसे निदेशालय के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।


संयुक्त निदेशक (कृषि)।